न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

राजस्व अपील सख्या 03/2016

श्री मनफुल काठात पुत्र श्री अशरफ जाति मेरात, निवासी ग्राम कोट का बाडिया (नया गांव), तहसील–मसूदा, जिला– अजमेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. श्री मंगल वल्द सब्बाजी जाति मेरात आयु बालिग निवासी गांव कानाखेडा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0 ।
2. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार मसूदा जिला, अजमेर।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत कानाखेडा ।

.....प्रत्यर्थीगण

अपील ज्ञापन अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1515 दिनांक 06.06.2016 जिसके द्वारा बिना अपीलार्थी को सूचित किये अपनी मनमर्जी से प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 06.06.2016 के दिनांक 28.04.2016 के पंजीकृत विक्रय पत्र के बावजुद व काबिज काश्त होने के बावजुद व कब्जे काश्त की पुर्ण जानकारी किये बिना नामान्तकरण निरस्त करने बाबत् ।

निर्णय

दिनांक 01.09.2016

अपिलार्थी ने इस अपील मीमो के साथ प्रार्थना–पत्र धारा 5 कानून मियाद पेश कर निवेदन किया है कि एक अपील ग्राम पंचायत कानाखेडा द्वारा ना.क. संख्या 1515 दिनांक 06.06.2016 को खारिज करने के विरूद्ध न्यायालय हाजा में ठोस आधार पर पेश की गई है जो स्वीकार योग्य है ।

अपिलार्थी ग्रामीण परिवेश का राजस्व अभिलेख से अनभिज्ञ है उसे बिना सुने उसके पक्ष में दर्ज किये गये उक्त ना.क. को खारिज कर दिया गया है जिसकी जानकारी अपिलार्थी को दिनांक 28.07.2016 को हुई है । कानूनन अपील का निर्णय तकनिकी बिन्दू की अपेक्षा गुणावगुण पर किया जाना चाहिए इसलिए अपील प्रस्तुती में हुए विलम्ब को, जो कि पूर्णतया सद्भाविक है व अपिलार्थी के नियन्त्रण से परे भी रहा है अतः क्षमा किया जाना न्याय संगत एवं आवश्यक है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करवाने की कृपा कर अपील अभिलेख पर की जाकर गुणवगुण पर तय कराने की कृपा करावें ।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

प्रत्यर्थी से 1 से 3 पर नोटिस तामील के बावजूत वे अनुपस्थित रहे है इसलिए उनके विरूद्ध दिनांक 01.09.2016 को एक तरफा कार्यवाही की गई तथा वकील अपिलार्थी को सुना गया । उसने प्रार्थना–पत्र धारा 5 पर प्रार्थना–पत्रानुसार ही अपना पक्ष रखा । प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अपिलार्थी अभिलेख पर ली जाती है ।

अपिलार्थी ने अपनी इस अपील में सारांशतः निवेदन किया है कि उसने ग्राम कानाखेडा तह मसूदा स्थित आराजी नं0 788/2 रकबा 1–14–13 सम्पूर्ण व 787/1 रकबा 6–16–00 का 1/2 हिस्सा प्रत्यर्थी सं0 1 जो इनमें काबिज काश्त खातेदार था से बिज एवज प्रतिफल दिनांक 28.04.2016 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है । बरोज खरीद के प्रत्यर्थी सं0 1 ने मौके पर अपिलार्थी को कब्जा भूमि एवं समस्त हक हकूक संभला दिये थे । जिसका ना.क. अपिलार्थी के पक्ष में किये जाने हेतु अपिलार्थी एवं उप पंजियक महोदय, मसूदा ने विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का को देने पर उसने ना.क.सं. 1515 अपिलार्थी के पक्ष में दर्ज कर दिया जिसे प्रत्यर्थी सं 3 ने बिना अपिलार्थी को सूचित किये दिनांक 06.06.2016 को निरस्त कर दिया है जिसके कारण प्रश्नगत आराजी प्रत्यर्थी सं. 1 के ही नाम चली आ रही है जिसका वह कभी भी दुरूपयोग कर अपिलार्थी को क्षति पहुंचा सकता है । विक्रेता के पक्ष में डिक्री भी न्यायालय हाजा द्वारा पारित की गई है । इन सबकी जानकारी के बावजूद प्रत्यर्थी सं0 3 ने अपिलार्थी के पक्ष में दर्ज ना.क. संख्या 1515 को निरस्त कर दिया है प्रत्यर्थी सं0 3 द्वारा की गई कार्यवाही सर्वथा विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है, अपास्त किया जावे तथा अपील अपिलार्थी स्वीकार की जावे । अपलिार्थी द्वारा खरीदी गई प्रश्नगत आराजी का दाखिल खारिज प्रत्यर्थी सं0 1 मंगला जो कि विक्रेता है के स्थान राजस्व अभिलेख में अपिलार्थी के नाम खुलवाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपिलार्थी को सुना गया । उसके तर्क रहे कि उसने इसमें खातेदार काश्तकार प्रत्यर्थी सं0 1 से बिल एवज् प्रतिफल खरीद कर अपने पक्ष में ना.क. हेतु आवेदन किया इसके बावजूद मुझे नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मेरे पक्ष के ना.क. को एक तरफा में खारिज कर दिया है । पूर्व का ना.क.सं0 1062 दिनांक 12.11.2010 माननीय न्यायालय द्वारा डिक्री दिनांक 30.06.2011 से खारिज कर विक्रेता एवं वादी मंगला को प्रश्नगत आराजी में खातेदार घोषित किया गया है । इस सबकी जानकारी के बावजूद मेरे नाम का ना.क. 1515 खारिज कर दिया गया है अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.06. 2016 निरस्त फर्माया जावे तथा प्रकरण समक्ष न्यायालय में प्रति प्रेषित कर अपिलार्थी के पक्ष में ना.क. स्वीकार कराने के आदेश प्रदान करावें ।

मैने बहस के परिपेक्ष में पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रकरण सं0 37/2011 मंगला बनाम नूरा व अन्य में आराजी ख.नं. 781/1 रकबा 6–16–00 में वादी मंगला जिसने अपिलार्थी को प्रश्नगत भूमिया बेची है को 1/2 का खातेदार घोषित किया गया है तथा ना.क.सं. 1062 दिनांक 22.11.10 को निरस्त करते हुए मंगला के नाम का अमल दरामद करने के आदेश दिनांक 30.06.2011 को पारित किये गये है । ऐसी स्थिति में मंगला ख.नं. 787/1 के 1/2 हिस्से को विक्रय करने का अधिकारी था । ख.नं. 788/2 उसकी तन्हा खातेदारी में था । ये दोनों नम्बर उसने अपिलार्थी को बेचे है । जिसके लिए वह कानून अधिकृत था । जिसके आधार पर अपिलार्थी के पक्ष में दर्ज ना.क. बाबत् भू.अ.नि. खरवा के स्पष्ट टिप्पणी अंकित की है कि अंकन सही है इसके बावजूद अपिलाधीन ना.क. जो अपिलार्थी के आवेदन पर दर्ज किया गया था । उसे सुने बिना खारिज करने में अधिनस्थ न्यायालय ग्रा.पं. कानाखेडा ने भंयकर भूल की है अतः अपील अपिलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, मसूदा को प्रति प्रेषित कर लेख है कि वे इस पर अपिलार्थी को सुनकर पुनः ना.क. दर्ज करना सुनिश्चित करावें ।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2016 को न्यायालय हाजा पर सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.18 16:28:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: